

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

2016 – 17 के वार्षिक खाते

सूचकांक

क्रम सं.	विवरण	पेज नम्बर
1.	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	1-5
2.	तुलन पत्र	6
3.	आय एवं व्यय खाता	7-8
4.	तालिका - 1 पूंजीगत निधि	9
5.	तालिका - 2 रिजर्व और अधिशेष	9
6.	तालिका - 3 असुरक्षित ऋण	10
7.	तालिका - 4 चालू देयताएं एवं प्रावधान	10
8.	तालिका - 5 स्थाई परिसम्पत्तियां (मुख्यालय)	11
9.	तालिका - 5क स्थाई परिसम्पत्तियां (टेकनीकल)	12
10.	तालिका - 6 चालू सम्पत्तियां	13
11.	तालिका - 7 ऋण एवं अग्रिम	14
12.	तालिका - 8 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां	15-16

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1. हमने आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के 31 मार्च 2017 तक के सलग्न तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा की लेखापरीक्षा, हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 (1971 की हरियाणा अधिनियम सं. 20) के साथ पठित नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत की है। वर्ष 2014 - 15 से 2018 - 19 तक की अवधि हेतु 5 वर्षों के लिए लेखापरीक्षा सौंपी गई है। ये वित्तीय बोर्ड के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर मत प्रकट करना है।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बेहतर लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों इत्यादि से अनुरूपता, वर्गीकरण से सम्बन्धित केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) की टिप्पणियां समाविष्ट हैं। कानून, नियम एवं विनियमन (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता - सह - निष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हो, की अनुपालना से सम्बन्धित वित्तीय सम्पादनों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पृथकतः निरीक्षण प्रतिवेदनों/सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित किए जाते हैं।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम, ये उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरणियों भौतिक अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं, लेखापरीक्षा आयोजन तथा सम्पन्न करें। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरणों तथा राशियों को समर्थन देने वाले प्रमाण, नमूना आधार पर परीक्षण सम्मिलित करती है। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के अतिरिक्त प्रबन्धन द्वारा उपयोग किए गए लेखापरीक्षा सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबन्धन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलनों को भी सम्मिलित करती है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :
 - i) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए हैं।
 - ii) हमारे प्रतिवेदन से संव्यवहारित लेखाओं (तुलन-पत्र तथा व्यय लेखा) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया है।
 - iii) हमारे मत में हरियाणा आवास बोर्ड, अधिनियम 1971 (1971 की हरियाणा अधिनियम सं. 20) के अन्तर्गत अपेक्षितानुसार आवास बोर्ड, हरियाणा द्वारा लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य संबंधित अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं। (एस.ए.आर. में दिखाई गई त्रुटियों को छोड़कर) कि ये ऐसी बहियों में हमारी जांच से प्रकट होते हैं।
 - iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :

ए. तुलन पत्र :

1. देयताएं

1.1.1 कॉलोनियों के रख-रखाव के देय खर्च 1.04 करोड़ रुपये

उपरोक्त खर्चों में सरस्वती विहार कॉलोनी जो कि नगर पालिका गुरुग्राम को हस्तांतरित कर दी गई है, के 0.04 करोड़ रुपये के देय खर्च भी शामिल हैं और इस कॉलोनी की रख-रखाव पर और खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इनके प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। परिणामतः चालू देयताओं का 0.04 करोड़ का अधिकथन तथा राजस्व प्राप्तियों का अवकथन हुआ।

2. परिसम्पत्तियां

2.1 चालू परिसम्पत्तियां (अनुसूची - 6) 1713.01 करोड़ रुपये

2.1.1 139.86 करोड़ रुपये के भूमि लागत को स्कीमों पर बांटना

उपरोक्त देय भूमि लागत तुलन पत्र में आखिरी दिनांक को दर्शाई गई है। भूमि लागत की देय किस्त के भुगतान से आखिरी दिनांक तक का देय ब्याज शामिल नहीं है। देय ब्याज का प्रावधान न करने से भूमि लागत व विविध लेनदारों का 29.25 करोड़ रुपये का अवकथन हुआ। इसके इलावा बोर्ड ने सम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया और भूमि का उपयोग नहीं किया।

2.1.2 विविध देनदार

(i) आवास आंबटी 193.11 करोड़ रुपये

बूथ एवं प्लॉट आंबटी 13.97 करोड़ रुपये

अन्य 9.22 करोड़ रुपये

सभी देनदार असमाधानित तथा अपुष्ट थे। बोर्ड द्वारा अनुरक्षित आंबटी - बार बहियां अपूर्ण थी। शेषों की पुष्टि एवं मिलान के अभाव में शीर्ष के अंतर्गत प्रकट होने वाले आंकड़ों की शुद्धता का लेखा परीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका। इसको पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किये जाने के बावजूद इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(ii) विविध देनदारों में ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं से वसूलनीय 9.82 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है। इनमें से 2.87 करोड़ रुपये की राशि के देनदार पांच वर्षों से अधिक पुराने थे। इनमें से संदिग्ध व डूबते ऋणों को केवल 0.03 करोड़ रुपये का प्रावधान 2016 - 17 तक किया गया है। परन्तु बोर्ड ने उसकी पर्याप्तता को पुर्न विचार नहीं किया है। यह वर्ष 2002 - 03 से 2015 - 16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किये जाने के बावजूद इस संबंध में अब तक बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(iii) बैंक जमा

मुख्यालय - 14.28 करोड़ रुपये

रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक जमा राशि का पास बुकों के साथ मिलान किया गया है। यद्यपि, रोकड़ पुस्तक और पासबुक के 0.11 करोड़ रुपये के अन्तर को बैंक प्रभार खर्च मान लिया गया है। इन खर्चों को आय व व्यय खाते में नहीं लिया गया। इस प्रकार तुलनपत्र में बैंक जमा राशि ठीक नहीं दर्शाई गई है व इसको ठीक दर्शाया जाना चाहिये। परिणामतः 0.11 करोड़ रुपये के बैंक प्रभार का अवकथन और नकद व बैंक जमा का अतिकथन हुआ है।

बी - आय एवं व्यय खाता

आय

बिना बिक्री के 540.16 करोड़ रुपये का आवासीय भण्डार

उपर्युक्त शेष में बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों में बेचे गये आवासीय भण्डार शामिल हैं जिनका अब आबंटन द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। चूंकि आत्मसमर्पण घर बिक्री रिटर्न है, इसलिए इन्हें मूल लागत पर बुक किया जाना चाहिए था, जिन पर इनका निर्माण किया गया था और बिक्री के लिए पहले पारित प्रविष्टियों को उलट दिया जाना चाहिए था, और जब्त की गई राशि को बोर्ड की आय के रूप में माना जाना चाहिए था। इसके अलावा, आत्मसमर्पण घरों/एससीओ/दुकानों के क्लोजिंग स्टॉक को लागत या बाजार मूल्य पर जो भी कम हो, दिखाया जाना चाहिए था। उपर्युक्त उपचार देने बजाय, बोर्ड ने हाउसिंग स्टॉक के बिक्री मूल्य को घरों/एससीओ/दुकानों की लागत में से जब्त राशि को कम करके लागत मूल्य दर्शाया है।

92 मामलों में (जहां घर/एससीओ/दुकानों की नीलामी की गई और बाद में आत्मसमर्पण किया गया) बोर्ड ने घरों/एससीओ/दुकानों की लागत को बिक्री मूल्य में से जब्त राशि कम करके दर्शाया है जिसके परिणामस्वरूप सरेंडर, बिक्री मूल्य की लागत से अधिक है। इस गलत उपचार के परिणामस्वरूप बेचे गए हाउसिंग स्टॉक के साथ-साथ रिजर्व और अधिशेष का भी 7.25 करोड़ रुपये से अतिकथन हुआ है।

सी सामान्य

मकानों की बिक्री और नीलामी से 26.85 करोड़ रुपये वर्ष 2016 - 17 के लाभ को आय व व्यय खातों में दर्शाया गया है जोकि बिक्री मूल्य और लागत को घटा कर दिखाया गया है। यद्यपि मकानों और दुकानों का विवरण वार्षिक खातों के साथ नहीं लगाया जिसके कारण उनकी सत्यता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यह वर्ष 2002 - 03 से 2015 - 16 के लेखा प्रतिवेदनों में इंगित किये जाने के बावजूद इस सम्बन्ध में अब तक बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

- डी उपरोक्त टिप्पणियों का बोर्ड के वार्षिक व्यय पर आय की अधिकता पर प्रभाव यह होगा कि 13.27 करोड़ रुपये आय की अधिकता घट कर 10.66 करोड़ रुपये हो जाएगी।
- ई सहायता अनुदान
बोर्ड ने वर्ष 2016 - 17 दौरान कोई भी सहायता अनुदान प्राप्त नहीं किया।
- एफ प्रबन्ध पत्र
कमियां जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई है, उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पृथकतः जारी प्रबन्ध-पत्र के माध्यम से आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के ध्यान में लाई गई है।
- (v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई अभ्युक्तियों के अध्यक्षीन, हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन से संव्यवहारित तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा, लेखाओं की बहियों से मेल खाते हैं।
- (vi) हमारे मत में तथा हमारी सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक में वर्णित उपर्युक्त महत्वपूर्ण मुद्दों तथा अन्य मुद्दों के अध्यक्षीन तथा लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित कथित वित्तीय विवरणियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा सिद्धान्तों के अनुसार सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है।
- (क) जहां तक यह 31 मार्च 2017 को आवास बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला के कार्यों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबंधित है,
- (ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के अधिक्य से संबंधित हैं।

भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान : चण्डीगढ़

दिनांक : 10 - 07 - 2018

हस्ता,

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हरियाणा, चण्डीगढ़

‘प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।’

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के वर्ष 2016 – 17 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2016 – 17 के दौरान बोर्ड में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

बोर्ड में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित क्षेत्रों में कमी पाई गई थी :

ए) ऋण और अग्रिमों के लिए वित्तीय आंकड़े, विविध देनदार, विविध लेनदारों, सुरक्षा जमा, कर्मचारियों पर देय राशि, पंजीकरण जमा, आबंटियों के अन्य जमा, अग्रिम धन और ठेकेदारों की सुरक्षा कटौती और अन्य डेबिट और क्रेडिट वित्तीय आंकड़े अपुष्ट और असमाधानित थे।

बी) बोर्ड ने कोई लेखांकन मैनुअल तैयार नहीं की है।

सी) नकद स्टॉक और अन्य कीमती सामानों से निपटने वाले कर्मचारियों के कर्तव्यों से बदलने की कोई प्रणाली/योजना नहीं है।

डी) बोर्ड को नकद और शेयर जैसे कीमती सामानों को संभालने वाले कर्मचारियों से कोई सुरक्षा जमा/निष्ठा गारंटी प्राप्त नहीं हुई है।

ई) भूमिगत संपत्तियों और भवन के लिए शीर्षक कार्यों की संपत्ति रजिस्टर/सूची बोर्ड द्वारा तैयार नहीं की गई थी।

3. स्थायी परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

बोर्ड द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।

4. वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन बोर्ड द्वारा में किया गया था।

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

बोर्ड समय पर सांविधिक देयों को जमा करने में नियमित था।

हस्ता.

उप – महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र)

(6)

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

31 मार्च 2017 का तुलनपत्र

(आंकड़े रुपयों में)

विवरण	तालिका	31.3.2017 के आंकड़े	31.3.2016 के आंकड़े
देयताएं			
पूँजीगत निधि	1	3956735784	3824079350
रिज़र्व और अधिशेष	2	3496595127	3352895127
असुरक्षित ऋण	3	4825996294	4344581000
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	5615810339	5838771399
कुल		17895137544	17360326876
परिसम्पत्तियां			
स्थायी परिसम्पत्तियां	5 & 5A	101288162	106596847
चालू परिसम्पत्तियां	6	17130185023	16741611492
कर्ज तथा पेशगियां	7	663664359	512118537
कुल		17895137544	17360326876
लेखों पर टिप्पणियां	8		

कुमार नौहरिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स
(फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. 002561 एन)

हस्ता.
बी. के. नौहरिया
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स
एम. नं. 081459

हस्ता.
जवाहर यादव
अध्यक्ष

हस्ता.
महेश्वर शर्मा, एच.सी.एस.
मुख्य प्रशासक

हस्ता.
राजेश कुमार गुप्ता
मुख्य लेखा अधिकारी

दिनांक : 06.09.2017

स्थान : पंचकूला

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला
वर्ष 2016 – 2017 का आय एवं व्यय खाता

वर्ष	31.3.2017 के आकड़े	31.3.2016 के आकड़े	आय	31.3.2017 के आकड़े	31.3.2016 के आकड़े
वेतन	188774987	188277355	विभिन्न फार्मों की बिक्री	151600	419520
ई.पी.एफ.	16174076	16894820	जुमनि (अलोटी)	7995628	7884719
शिक्षित्वा व्यय	993211	1191364	इन्सुरेन्स शुल्क	60000	160000
मानदेय	1437000	1185911	कॉलोनियों की बीमा खर्चों की वसूली	1172959	1195259
मेच्युटी	19063443	4115116	प्रोविडेंट फंड एवं स्थानांतरण प्रभार	11376501	11086882
अवकाशीय यात्रा खियात	1467912	785165	मकान किराया कटौती	1489569	1974246
यात्रा व्यय (स्टाफ)	1850241	1456838	एच.पी.टी.ए. फार्म की फीस	33285	2895
बिजली पानी का व्यय	2091092	2176643	किराया प्राप्ति	118900	522000
मनोरंजन व्यय	288469	274849	रजिस्ट्रेशन राशि जब्त	25843950	32792150
कानूनी व्यय	1634458	1237436	देख-रेख व्यय की प्राप्ति	0	39921
किराया	418164	300488	विभिन्न प्राप्तियाँ	2871851	1697237
अखबार व्यय	24535	13551	आय से व्यय का आधिक्य	225447667	185310965
डाक का व्यय	727200	339412			
लेखन व छपाई	1157229	1101652			
स्टाफ कार/जीप खर्च	3538975	3439234			
विभाजन	2468011	3068071			
युस्मत् व्यय	881551	489674			
स्टाफ टेलीफोन	381351	334580			
अनुदान	325000	25000			
वाहन खर्च	1227462	802875			
टेलीफोन व्यय	19232	22699			
फोटोस्टेट व्यय	1113291	994492			
प्रशिक्षण शुल्क	347727	316710			
ऑडिट फीस	111300	11970			
गेस्ट हाऊस के रख-रखाव पर खर्च	275017	387316			
सूच्य हास	562111	126737			
कम्प्यूटर खर्च	11028221	7943110			
कार्यालय भवन रखरखाव पर खर्च	495557	242752			
नई पेंशन स्कीम	484787	1278091			
स्टाफ क्वार्टर के रखरखाव खर्च	112811	248837			
परामर्श फीस	1360833	1212739			
हाऊसिंग कालोनियों का बीमा शुल्क	335330	338762			
सेवा कर	449157	456951			
स्वच्छ भारत सैम	1797672	645055			
कृषि कल्याण उपकर	64769	8455			
मैन पावर आपूर्ति सेवाएं	58727	0			
आई. टी. सॉफ्टवेयर खर्च	12776684	5044684			
एच. पी. टी. ए. फार्मों की लागत	193317	0			
	51000	0			
कुल जोड़	276561910	243085794	कुल जोड़	276561910	243085794

आय से व्यय का आधिक्य	225447667	185310965	ब्याज प्राप्ति अलाटियों से	268534686	217056738
दिया गया ब्याज	13258640	106802928	ब्याज प्राप्ति अन्वयों से	22200521	141097142
आयकर के लिए प्रावधान	138385500	28709070	मकानों की बिक्री से लाभ/हानि	362716336	21685658
पिछले वर्ष का आयकर	3302	0			
दूसरे वागित्वों के निपटारे हेतू खर्च	143700000	30700000			
व्यय से आय का आधिक्य	132656434	28316575			
कुल जोड़	653451543	379839538	कुल जोड़	653451543	379839538

कुमार नौहरिया एण्ड कम्पनी
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 (फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. 002561 एन)

(8)

हस्ता.
 बी. के. नौहरिया
 चार्टर्ड एकाउंटेंट
 एम. नं. 081459

हस्ता.
 जवाहर यादव
 अध्यक्ष

हस्ता.
 महेश्वर शर्मा, एच.सी.एस.
 मुख्य प्रशासक

हस्ता.
 राजेश कुमार गुप्ता
 मुख्य लेखा अधिकारी

दिनांक : 6.09.2017
 स्थान : पंचकूला

(9)

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 1

पूँजीगत निधि

विवरण	31.3.2017 के आंकड़े	31.3.2016 के आंकड़े
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3824079350	3795762775
जमा : चालू वर्ष में व्यय से आय का आधिक्य	132656434	28316575
कुल जोड़	3956735784	3824079350

तालिका - 2

रिज़र्व और अधिशेष

विवरण	31.3.2017 के आंकड़े	31.3.2016 के आंकड़े
विभिन्न दायित्वों के भुगतान हेतु आरक्षित कोष	3496595127	3352895127
कुल जोड़	3496595127	3352895127

हस्ता.
कुमार नौहरिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 3 असुरक्षित ऋण

विवरण	31.3.2017 के आंकड़े	31.3.2016 के आंकड़े
हुडको से ऋण	3155460000	3374581000
एन.एच.बी. से ऋण	1320000000	970000000
एच.डी.एफ.सी. से कार्यशील पूंजी	350536294	0
कुल जोड़	4825996294	4344581000

तालिका - 4 चालू देयताएं और प्रावधान

विवरण	31.3.2017 के आंकड़े	31.3.2016 के आंकड़े
ए) चालू देयताएं		
प्रोस्पेक्टिव स्वरीददारों का जमा पंजीकरण	2774248496	3107255164
ठेकेदारों की प्रारम्भिक राशि	559368	11500068
ठेकेदारों द्वारा जमा प्रतिभूति	190052020	201010937
अतिरिक्त लेनदार	1956460763	2111006177
कर्मचारियों द्वारा जमा प्रतिभूति	8070	8070
अदा करने योग्य स्वर्च	10985837	7349824
जमा करने योग्य कटौतियां	12281034	62815125
आर्बांटियों की अतिरिक्त जमा राशि	1443130	1443130
कर्मचारियों को देय राशि	691790	1575301
पूंजीगत लागत पर देय स्वर्च	327254618	93122538
पंजीकृत प्रार्थियों को देने योग्य ब्याज	13839246	13848978
कालोनियों के रख रखाव पर देय स्वर्च	10411708	12012915
ठेकेदारों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति	91053145	91053145
बी) प्रावधान		
संदिग्ध एवं डूबे हुए स्वर्चों का प्रावधान	344841	344841
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	87790773	95716116
आयकर का प्रावधान	138385500	28709070
कुल जोड़	5615810339	5838771399

हस्ता :
कुमार नौहरिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाऊंटैण्ट्स

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 5

स्थाई परिसम्पत्तियां का 31.3.2017 तक का विवरण (मुख्यालय)

विवरण	घटा मूल्य 1.4.2016	वर्ष के दौरान 1.4.2016 तक खरीद	वर्ष के दौरान 3.0.9.2016 के बाद खरीद	वर्ष के दौरान निपटान	31.3.2017 तक कुल लागत	वर्ष के दौरान धिसावट	घटा मूल्य 31.3.2017
फर्नीचर और फिक्सचर्स	10	2056623	22359	234598	0	2313580	2093952
आफिस का सामान	15	349264	19726	3115	0	372105	316523
बिजली का सामान	15	1065231	7717	150729	0	1223677	1051430
साईकिल	15	11094	0	0	0	11094	9430
स्टाफ कार	15	4063021	0	0	0	4063021	3453568
किताबें	15	30741	0	0	0	30741	26130
कम्प्यूटर	60	541044	245358	3642753	0	4429155	2864488
कुल (₹)	-	8117018	295160	4031195	0	12443373	9815521
टेक्नीकल (₹)	-	98479829	167520	1295689	70028	99873010	91472641
(तालिका 5 क)							
सकल जोड़ (₹)	-	106596847	462680	5326884	70028	112316383	101288162

हस्ता :

कुमार नौहरिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(11)

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला
तालिका - 5क
स्थायी परिसम्पत्तियां का 31.3.2017 तक का विवरण (टेकनीकल)

विवरण	घटा मूल्य 1.4.2016	वर्ष के दौरान 30.9.2016 तक खरीद	वर्ष के दौरान 30.9.2016 के बाद खरीद	वर्ष के दौरान निपटान	31.3.2017 तक कुल लागत	वर्ष के दौरान घिसावट	घटा मूल्य 31.3.2017
1. भूमि							
क) आफिस	0	0	0	0	421478	0	421478
ख) विश्राम गृह	0	0	0	0	85540	0	85540
ग) आवास भवन	0	0	0	0	318000	0	318000
घ) स्टाफ क्वार्टर	0	0	0	0	12145774	0	12145774
2. ईमारत							
क) आफिस	10	0	198933	0	5597570	549810	5047760
ख) विश्राम गृह	10	0	0	0	1251194	125119	1126075
ग) आवास भवन	10	0	0	0	6404041	640404	5763637
घ) स्टाफ क्वार्टर	5	0	0	0	9928524	496425	9432099
घ) कार्यालय खण्ड	10	0	991563	0	59784222	5928844	53855378
और होस्टल बिल्डिंग							
3. फर्नीचर और फिक्सचर्स	10	0	75567	0	1344645	130688	1213957
4. आफिस का सामान	15	49750	0	0	112533	16880	95653
5. बिजली का सामान	15	48248	0	0	858783	128817	729966
6. साईकिल	15	3491	0	0	3491	525	2966
7. स्टाफ कार	15	1347133	0	70028	1277105	191566	1085539
8. किताबें	15	8635	0	0	8635	1295	7340
9. कम्प्यूटर	60	232327	29626	0	331475	189996	141479
कुल जोड़ (₹)	98479829	167520	1295689	70028	99873010	8400369	91472641

हस्ता :
कुमार नौहरिया एण्ड कम्पनी
चार्टड एकाऊंटेंट्स

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला
तालिका - 6 चालू परिसम्पत्तियां

विवरण	31.3.2017 के आंकड़े	31.3.2016 के आंकड़े
कालोनियों की कीमत		
लागत 7478082909		
घटाएं : प्राप्ति <u>2944242104</u>	4533840805	7820645220
विभिन्न देनदार		
- मकानों के आबटियों से	1931148487	1466045961
- दुकानों और प्लॉटों के आबटियों से	139721882	182095172
- अन्य	92220864	189179139
जमीन की लागत		
- दी गई कीमत	2346002906	2190209083
- जमीन की लागत जो कि अभी स्कीमों पर बाटनी है	1398572327	1963414716
मकान निर्माण सामग्री		
- डिवीजनों में	14548254	14872112
- ठेकेदारों के पास	106384992	115555112
- भूमि मुआवजा देय/प्राप्ति	882283815	415772585
- मिलने वाला ब्याज	2104694	5624811
नकद और बैंक जमा		
- नकद मुख्यालय में	104	64606
- नकद डिवीजन्स में	1212	50615
बैंक जमा		
- मुख्यालय में	142844906	470975823
- डिवीजन्स में	50702684	113106114
फिक्सड डिपोजिट (प्राप्तियां)	78469318	175571202
फिक्सड डिपोजिट (स्टाफ सिक्योरिटी)	1800	1800
कर्मचारियों के अग्रिम पर अर्जित ब्याज	4857983	5442182
बिना बिके हुए मकान	5401575348	1608248718
पहले अदा किए हुए खर्चे	2887988	2547867
आर्बीट्रेशन अवार्ड वसूली/देय राशि	1318865	1318865
न्यायालय में लंबित केसों से वसूली/देय राशि	695789	695789
मिलने वाला किराया	0	174000
कुल जोड़ (रु.)	17130185023	16741611492

हस्ता :
कुमार नौहरिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला
तालिका-7 ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31.3.2017 के आंकड़े	31.3.2016 के आंकड़े
सुरक्षित अग्रिम	25501605	26500427
- ठेकेदारों को अग्रिम	1233661	2725896
- कर्मचारियों को वाहन के लिए अग्रिम	5249629	6143142
- कर्मचारियों को दूसरे उद्देश्यों के लिए अग्रिम	946431	945431
- विभिन्न विभागों में जमा प्रतिभूति		
असुरक्षित अग्रिम		
- कर्मचारियों को अग्रिम	632047	797261
- सप्लाइकर्ताओं को अग्रिम	10669779	38907439
- विभिन्न कार्यों के लिए अग्रिम	78640661	37726408
आयकर		
- फ्रिंज बनेफिट कर वसूली योग्य वर्ष 2007-08	0	26152
- फ्रिंज बनेफिट कर वसूली योग्य वर्ष 2008-09	0	62387
- आयकर वसूली योग्य वर्ष 2007-08	14555124	14555124
- आयकर वसूली योग्य वर्ष 2008-09	7638000	12128512
- आयकर वसूली योग्य वर्ष 2009-10	278720	942060
- आयकर वसूली योग्य वर्ष 2010-11	185418	185418
- आयकर वसूली योग्य वर्ष 2011-12	659070	874520
- आयकर वसूली योग्य वर्ष 2012-13	12728590	5172010
- आयकर वसूली योग्य वर्ष 2013-14	6617017	6617017
- आयकर वसूली योग्य वर्ष 2014-15	15609199	15609199
- आयकर वसूली योग्य वर्ष 2015-16	80417769	0
- अग्रिम आयकर वर्ष 2015-16	0	95800000
- विभिन्न स्रोतों द्वारा काटा गया कर वर्ष 2015-16	0	13330141
- सेवा कर विवादित/वसूली योग्य	264876136	233069993
- विभिन्न स्रोतों द्वारा काटा गया कर वर्ष 2016-17	3725503	0
- अग्रिम आयकर वर्ष 2016-17	133500000	0
कुल जोड़ (रु.)	663664359	512118537

हस्ता :
कुमार नौहरिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाऊंटैण्ट्स

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका 8 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां (31-03-2017 के तुलनपत्र व आय और व्यय लेखा का वित्तीय भाग)

1. खाते संस्था के इतिहासिक लागत में वाणिज्यिक विधि के आधार पर बनाये गये हैं। वित्तीय लेखे प्रचलित लेखा नियमों के आधार पर बनाये गये हैं।
2. आवश्यकता अनुसार पिछले साल के आंकड़ों को इकट्ठा/समायोजन कर लिया गया है।
3. आयकर कानून 1961 के अनुसार स्थाई परिसम्पत्तियों का हास मूल्य नीति के अनुसार अवमूल्यन किया गया है।
4. किसी भी प्रकार की परिसम्पत्तियों का वर्ष के दौरान पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है।
5. मकानों की बिक्री का लाभ व हानि लागत मूल्य व बिक्री मूल्य के अन्तर को दर्शाता है।
6. वित्तीय विवरण में ऋण एवं अग्रिम, देनदारियां, लेनदारियां, जमा प्रतिभूतियां, कर्मचारियों को देय राशि, आबंटियों का पंजीकरण व अतिरिक्त जमा राशि, अग्रिम राशि ठेकेदारों की जमा प्रतिभूतियां और दूसरे नाम व जमा राशियां जो बिना पुष्टि के दर्शाई गई है, उनकी वसूली उसी मूल्य पर ही मानी जाएगी अगर वो सामान्य व्यवस्था में वसूल हो जाती है।
7. बोर्ड की कालोनियों/स्थानों पर होने वाले खर्चों को पूंजी खाते पर देय खर्च के रूप में दर्शाया गया है।
8. अवकाश देय राशि का प्रावधान प्रत्येक कर्मचारी के देय अवकाश के अनुसार किया गया है।
9. आई. सी. ऐ. आई. द्वारा जारी ए. एस. 7 में अंकित ठेका पद्धति का खाते बनाने में अनुसरण किया गया है।
10. बिना बिके हुए मकानों को उनकी मूल कीमत पर दर्शाया गया है।
11. आवास बोर्ड के विरुद्ध 15121242.00 रुपये का घोषित आर्बीट्रेशन एवार्ड अभी निर्णित नहीं है। इसी प्रकार 12209648.00 का बोर्ड के पक्ष में एवार्ड भी निर्णित नहीं है। ये राशियां तुलन पत्र में नहीं दिखाई गई हैं।

12. आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार कर योग्य लाभ पर आयकर का प्रावधान किया गया है।
13. हुडको और एन.एच.बी. से अवधि ऋण बोर्ड की कोई भी संपत्ति बंधक रखे बिना, हरियाणा सरकार की गारंटी पर लिया है।
14. बोर्ड ने जीवन बीमा निगम की ग्रेच्युटी फण्ड की मास्टर पालिसी को अपनाया है, जिससे बोर्ड के कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति पर संविधानिक दायित्व की पूर्ति की जा सके। 31.3.2017 को जीवन बीमा निगम ने कुल 119146285.00 रुपये का शुद्ध बकाया प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो कि ग्रेच्युटी का भुगतान करने के पश्चात् दर्शाया गया है।
15. बोर्ड का संस्थागत ढांचा व कार्यकारी नीतियां हरियाणा सरकार की मकान व भलाई की योजनाओं को मध्यनजर रखते हुए बनाई गई है।
16. पैसों के आंकड़े को रुपयों में परिवर्तित कर दिया है।

कुमार नौहरिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाऊंटैण्टस
(फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. 002561 एन)

हस्ता.
बी. के. नौहरिया
चार्टर्ड एकाऊंटैण्ट
एम. नं. 081459

हस्ता.
जवाहर यादव
अध्यक्ष

हस्ता.
महेश्वर शर्मा, आई.ए.एस.
मुख्य प्रशासक

हस्ता.
राजेश कुमार गुप्ता
मुख्य लेखा अधिकारी